भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 707
04 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध

707. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन खाद्य उत्पादों की सूची क्या है जो अन्य देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में आयात, उत्पादित और बेचे जाते हैं;

(ख) ऐसे खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे खाद्य उत्पादों की बिक्री पर निगरानी रखने तथा प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि बच्चे ऐसे खाद्य उत्पाद खरीदने के लिए प्रवृत्त होते हैं, जिससे उनके विकास और मानसिक क्षमता पर असर पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं; और

(ङ) देश में प्रतिबंधित अत्यधिक नुकसानदायक परिरक्षक और कृत्रिम रंग कारक का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एफएसएसएआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार ;

(क) से (ङ):- बच्चों सहित मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत में आयातित खाद्य उत्पादों की, यह जांचने के लिए कि क्या वे खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नियम और विनियम के तहत सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है या नहीं,एक प्रक्रिया के माध्यम से जिसमे सीमा शुल्क प्रवेश बिंदुओं पर दस्तावेज़ की जांच, विजुअल इंस्पेक्शन, नमूनाकरण और परीक्षण शामिल है,की निगरानी की जाती है। हालांकि, दूसरे देशों में प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की सूची एफएसएसएआई के पास नहीं है।

विभिन्न खाद्य उत्पादों में इस्तेमाल के लिए मंज़ूर योजक खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के परिशिष्ट क में बताए गए हैं। खाद्य योजक, फ़्लेवरिंग और प्रसंस्करण सहायक पदार्थ पर वैज्ञानिक पैनल द्वारा किए गए जोखिम आकलन के आधार पर योजक के इस्तेमाल की इजाज़त है। खाद्य योजक (फ़्लेवरिंग एजेंट्स को छोड़कर) की कोई नकारात्मक सूची उपलब्ध नहीं है।

****